

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार गीणा आर0ए0एस0  
प्रकरण संख्या 69/2023 दायर दिनांक 07.07.2023

उनवान

1. गोकुलसिंह पि. देवीसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
2. कृपालसिंह पि.गोकुलसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
3. सोहनबाई पत्नी गोकुलसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

1. कालूसिंह पि. नरवरसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
2. जसवन्तसिंह पि. नरवरसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
3. तुलछाबाई पत्नी स्व. अर्जुनसिंह जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
4. माया पुत्री अर्जुनसिंह जरिये वली माता तुलछाबाई जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
5. राहुलसिंह पि. अर्जुनसिंह जरिये वली माता तुलछाबाई जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
6. विशालसिंह पि. अर्जुनसिंह जरिये वली माता तुलछाबाई जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
7. सोहनबाई पत्नी गरवरसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
8. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोटडी तहसील पिडावा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलवार पिडावा

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री विनोद शर्मा

प्रतिवादी सं. 1 से 7 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 8 – शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक कोटडी

प्रतिवादी सं. 9 – परोकार सरकार



उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)



निर्णय

दिनांक 03.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम जबलेन तहसील पिडावा की जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 67 की ख.नं. 45 रकबा 0.7714 हे० के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.10.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी किस्म के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1001 दिनांक 29.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2025 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम जबलेन तहसील पिडावा की जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 67 की ख.नं. 45 रकबा 0.7714 हे० भूमि में तहसीलदार पिडावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	कृपालसिंह पि. गोकुलसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सुनेल	45/1	0.0857	माल अलीफ
2	गोकुलसिंह पि. देवीसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सुनेल	45/2	0.0123	माल अलीफ
3	सोहनबाई पत्नी गोकुलसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन	45/3	0.0979	माल अलीफ
4	तुलछाबाई पत्नी स्व. अर्जुनसिंह हि. 704/5755 जाति सोंधिया नि. बाल्दा	45/4	0.5755	माल अलीफ

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, तहसील बाल्दा (राज०)



नाबा. माया पुत्री अर्जुनसिंह हि. 704/5755 संरक्षक माता तुलछाबाई जाति सोधिया नि. बाल्दा नाबा. विशालसिंह पि. अर्जुनसिंह हि. 704/5755 संरक्षक माता तुलछाबाई जाति सोधिया नि. बाल्दा बाल्दा नाबा. राहुलसिंह पि. अर्जुनसिंह हि. 704/5755 संरक्षक माता तुलछाबाई जाति सोधिया नि. बाल्दा कालूसिंह पि. नरवरसिंह हि. 1371/5755 जाति सोधिया नि. जबलेन रहन PNB शाखा कोटडी जसवन्तसिंह पि. नरवरसिंह हि. 1371/5755 जाति सोधिया नि. जबलेन रहन PNB शाखा कोटडी सोहनबाई पत्नी गरवरसिंह हि. 39/1151 जाति सोधिया नि. जबलेन रहन PNB शाखा कोटडी			
--	--	--	--

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*  
03/11/25

(दिनेश कुमार भीणा, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला इलाहाबाद, राज.  
पिडावा, जिला इलाहाबाद (राज.)

फाईनल डिग्री मुकदमा इन्तदाई  
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 69/2023

दायर दिनांक 07.07.2023

उनवान

1. गोकुलसिंह पि. देवीसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
2. कृपालसिंह पि.गोकुलसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
3. सोहनबाई पत्नी गोकुलसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

1. कालूसिंह पि. नरवरसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
2. जसवन्तसिंह पि. नरवरसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
3. तुलछाबाई पत्नी स्व. अर्जुनसिंह जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
4. माया पुत्री अर्जुनसिंह जरिये वली माता तुलछाबाई जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
5. राहुलसिंह पि. अर्जुनसिंह जरिये वली माता तुलछाबाई जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
6. विशालसिंह पि. अर्जुनसिंह जरिये वली माता तुलछाबाई जाति सोंधिया नि. बाल्दा तहसील पिडावा
7. सोहनबाई पत्नी गरवरसिंह जाति सोंधिया नि. जबलेन तहसील पिडावा
8. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोटडी तहसील पिडावा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलवार पिडावा

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री विनोद शर्मा

प्रतिवादी सं. 1 से 7 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 8 – शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक कोटडी

प्रतिवादी सं. 9 – परोकार सरकार



उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

गिनजागित मुदई रुबरु .....X.....गिनजागिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2025 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम जबलेन तहसील पिडावा की जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 07 की ख.नं. 45 रकबा 0.7714 हे० भूमि में तहसीलदार पिडावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है,	किस्म
1	कृपालसिंह पि. गोकुलसिंह जाति सोधिया नि. जबलेन रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सुनेल	45/1	0.0857	माल अलीफ
2	गोकुलसिंह पि. देवीसिंह जाति सोधिया नि. जबलेन रहन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सुनेल	45/2	0.0123	माल अलीफ
3	सोहनबाई पत्नी गोकुलसिंह जाति सोधिया नि. जबलेन	45/3	0.0979	माल अलीफ
4	तुलछाबाई पत्नी स्व. अर्जुनसिंह हि. 704/5755 जाति सोधिया नि. बाल्दा नाबा. माया पुत्री अर्जुनसिंह हि. 704/5755 संरक्षक माता तुलछाबाई जाति सोधिया नि. बाल्दा नाबा. विशालसिंह पि. अर्जुनसिंह हि. 704/5755 संरक्षक माता तुलछाबाई जाति सोधिया नि. बाल्दा बाल्दा नाबा. राहुलसिंह पि. अर्जुनसिंह हि. 704/5755 संरक्षक माता तुलछाबाई जाति सोधिया नि. बाल्दा कालूसिंह पि. नरवरसिंह हि. 1371/5755 जाति सोधिया नि. जबलेन रहन PNB शाखा कोटडी जसवन्तसिंह पि. नरवरसिंह हि. 1371/5755 जाति सोधिया नि. जबलेन रहन PNB शाखा कोटडी सोहनबाई पत्नी गरवरसिंह हि. 39/1151 जाति सोधिया नि. जबलेन रहन PNB शाखा कोटडी	45/4	0.5755	माल अलीफ


तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामुद करें।



(दिनेश कुमार गीणा, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी/उपनिर्वाहक  
जिला मालवा राज 0  
पिडावा, मालवा जिला (राज. ०२)

9


निज .....X.....गुवाहिक .....X..... बाबत खर्चा इस मुकदमें के शूद यशारह ....  
X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.11.2025 को जारी किया  
गया।

  
03/11/25

उपखण्ड अधिकारी पिडावाड, जिला झालावाड (रज.)  
जिला झालावाड (रज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प चकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना चकील	मुत0
महन्ताना चकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान





उपखण्ड अधिकारी पिडावाड, जिला झालावाड (रज.)  
जिला झालावाड (रज.)